

तालिका तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

मि.न.173/17

दिनांक 23.11.17

सरकार बनाम ख्याली

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिपोर्ट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम मोरधा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1060/1304/1.25है0मेंसे1.25है0व 1060/1300/0.97है0मेंसे 0.97है0 किस्म जमीन बाराणी पर ख्याली पुत्र भरता जाति गुजर निवासी मोरधा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिपोर्ट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आये तथा तथा नाही जबाब पेश नहीं किया गया । अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन करने पर गैर सायल का उक्त खसरा नंबर पर अतिक्रमण सिद्ध होता है । इस लिये गैर सायल के विरुद्ध एक पक्षिय कार्यवाही की जाती है ।

अतः गैर सायल ख्याली पुत्र भरता जाति गुजर निवासी मोरधा को आ0ख0न01060/1304,1060/1300है0पर अतिक्रमि घोषित करते हुए उक्त आराजियात पर की गई जोत को हटाया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण करने के आरोप में लगान राशी 22.20रु का पचास गुणा 1110रु अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है ।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया ।

23.11.17

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

17-18 ... क रा० ल...
पुस्तक मख्या 76 ... पर ... 1110 29
... किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली